

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक-एफ-4'16'आरडी/आरई/NREGA/09

2 SEP 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
(समस्त) राजस्थान ।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत मेटे के
नियोजन के संबंध में।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 15.6.09 एवं 18.8.09
महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कतिपय जिलों द्वारा यह
अवगत करवाया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत
दूर दराज की कुछ ग्राम पंचायतों में अनु. जाति/ जनजाति संवर्ग में 10
वीं उत्तीर्ण पुरुष अभ्यर्थी मेट हेतु उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, यदि ऐसा है तो
कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस आशय का जिला कलेक्टर को प्रमाण पत्र प्रस्तुत
करने पर इस संवर्ग के कक्षा 8 तक के पुरुष अभ्यर्थियों को भी मेट के पैल
हेतु जिला कलेक्टर से पूर्वानुमति प्राप्त कर विचार किया जा सकता है।

भवदीय,

(रामनिवास मेहता)

परियोजना निदेशक, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त(राजस्थान)।
- 2- रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, ईजीएस